



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274050
CG-DL-E-03072026-274050

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3345]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 3345]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3480(अ).—जबकि, मेसर्स एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 2/415 मेहरौली-गुडगांव रोड, सेक्टर-14, सदर बाजार, गुडगांव, हरियाणा, 122001, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XVI (एनईआरईएस-XVI) के लिए ट्रांसमिशन योजना" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 25-17/30/2023-PG दिनांक 10.10.2023 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XVI (एनईआरईएस-XVI) के लिए ट्रांसमिशन योजना" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने स्थानीय समाचार पत्रों अरुण भूमि (हिंदी में) दिनांक 19.01.2026, द अरुणाचल टाइम्स (अंग्रेजी में) दिनांक 19.01.2026, द असम ट्रिब्यून (अंग्रेजी में) दिनांक 19.01.2026, दैनिक पूर्वोदय (हिंदी में) दिनांक 19.01.2026, अमर असोम (असमिया में) दिनांक 19.01.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 14.02.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तिथि से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने दिनांक 18.06.2026 के एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा

की गई है कि भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर कोई अवलोकन/अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना "उत्तर पूर्वी क्षेत्र विस्तार योजना-XVI (एनईआरईएस-XVI) के लिए ट्रांसमिशन योजना" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें शामिल हैं:

(i) गोगामुख (आईएसटीएस) - गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) 132 केवी डी/सी (जेबरा) लाइन

(ii) गोगामुख एस/एस पर लोअर सुबानसिरी - बिस्वनाथ चरियाली 400 केवी (टू बिन लैपविंग) 2X डी/सी लाइनों की एक डी/सी लाइन (लाइन-1 के सर्किट-1 और सर्किट-2) का एलआईएलओ

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनें असम एवं अरुणाचल प्रदेश राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुजरेगी।

(i) गोगामुख एस/एस पर लोअर सुबानसिरी - बिस्वनाथ चरियाली 400 केवी (टू बिन लैपविंग) 2X डी/सी लाइनों की एक डी/सी लाइन (लाइन-1 के सर्किट-1 और सर्किट-2) का लिलो:

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील/तालुका	जिला	राज्य
1.	पुराना पाराघाट, तिगिरि गाँव,	गोगामुख	धेमाजी	असम
2.	खागोरि, उरियामगुरि एनसी, उरियामगुरि बालिगाँव, उरियामगुरि जोरहोतिया एनसी, दीपा एनसी, सेनचोवा	कदम	लखीमपुर	असम

(ii) गोगामुख (आईएसटीएस) - गेरुकामुख (अरुणाचल प्रदेश) 132 केवी डी/सी (जेबरा) लाइन

क्रमांक	गांव के नाम	तहसील	जिला	राज्य
1.	कोयम बरपथार, नं. 2 न-नई तारिंग, चाउलधुआ, कचुतलि बालि, लेगाचु कछारी, नं. 1 लठिया, मोइनापारा पथार, उखमाटि तराजान, नं. 3 न-नई तारिंग, नं. 1 कचुतलि, मंगलदोई पारा, नं. 2 मोइनापारा मिरि, न-नई तारिंग, उरियामगुरि, नं. 1 सोनापुर माजि, नं. 1 गोगामुख, उखमाटि पथार, गोगामुख पथार, नं. 1 मोइनापारा मिरि, नं. 2 कचुतलि, गड़परा, उखमाटि नेपाली 1/2, चाउलधुआ बालि, मोइनापारा चेतीया 1/2, नाहरबारी कछारी, पुराना पाराघाट, लठिया सोनारी, लेगाचु नेपाली, मिंगमांग गड़परा, नं. 4 सोनापुर माजि, नं. 2 सोनापुर माजि, नं. 5 दिरपाई चापारि (राजगर तिनियालि), दिहिगिया गाँव, नं. 4 दिरपाई चापारि, दिरपाई एनएलआर ग्रांट, गोगामुख मिरि, नं. 3 दिरपाई चापारि, दिहिगिया पथार, मणिपुरी कछारी, दखिन नलबारी, नं. 2 तराजान चापारि, नं. 2 दिरपाई चापारि (ठाकुरबारी), गड़परा पथार, तिगिरि गाँव, गोरोइमारी बंगाली, बोडोइबाम 67 नं. आमगुरि, बोडोइबाम 19 नं. एफ सी ग्रांट, बोडोइबाम 21 नं. एफ सी ग्रांट, बोडोइबाम 1/2 नं. साह मियादि, लताक, तराजान गाँव, कोयम, नं. 3	गोगामुख	धेमाजी	असम

	सोनापुर माजि, नं. 1 तराजान चापारि, दिघालीपथार, दिघालीपथार एनसी, भेबेली, बोरबिला भेबेली, भेबेली पथार, चेंगेली सुति, पार्वतिपुर, सीगिया, दिरपाई शांतिपुर ग्रांट, सानापुर नं. 5, सानापुर नं. 6, सुबनसिरी रिज़र्वड फॉरेस्ट, नाहरबारी, चोमनीगाँव, बालिगाँव, माजगाँव, अमलापति, चेंगमारी, नापान बालिगाँव, नेवारगाँव गोगामुख, जिलिकपथार, पामुआ गोगामुख, भेबेली हमाबाईगाँव, रंगाजानगाँव, ज्योतिषपुर, ब्रह्मगाँव, मोहरि, कालिगाँव, नाहरजान, कानुआपारजान, निजयपुर, बिश्मपुर, बागचोक सोनवालगाँव, हालाकबारी, पिचाला, चांग्लिसुती नं. 1, सालाखबारी मिरगाँव, गेरुकामुख, गेउका, घासीगाँव, खैक्षपुर			
2.	पथालिपाम 10/7/80/83, 2 नं कातारी चापोरी, चिनातोलीया राजगढ़, गेरगेरीया, 4 नं कातारी चापोरी, उरीयामगुरि, पथालिपाम 314/61, 3 नं कातारी चापोरी, काकोइ नोई राजगढ़, बालिजान बंगाली, बालिजान, 1 नं राजगढ़ नेपाली, बोकुलबारि, 1 नं. कातारी चापोरी, 2 नं. दखिन रूपोही, 2 नं. सेनचोवा, 1 नं. दखिन रूपोही, सेनचोवा, ठेकेरागुरि, 2 नं राजगढ़ नेपाली, सेनचोवा पथार, 2 नं. काकोइ नोई राजगढ़, उत्तर रूपोही, दखिन रूपोही, न अली बंगाली, राजगढ़ रूपोही, रूपोही, धोलबोस्ती, खागोरि, कथालगुरि, धोल नोई चापोरि, दीरघा माजगाँव, दुलुंग, कथालगुरि एनसी, उरियामगुरि एनसी, पुराना पारघाट, उरियामगुरि बालिगाँव, उरियामगुरि जोरहोतिया एनसी, दीपा एनसी, पिरिकगाँव, धीपागाँव, बगीनादिपाम, कलितागाँव, दुतगाँव, कर्कानि कठानगाँव, आहतगुरि, हलदिहाटी, भरतपुर, भीमपारा चापोरि, धनपुर, घगरनगर, सुबनसिरीगाँव, मिलनपुर, अदोर्श, कुहियारबारी	कदम	लखीमपुर	असम
3.	रिग्यु, रिग्यु रिजो, रिग्यु 2, कोलाप्टुकर, नार्थ कोलाप्टुकर, साउथ कोलाप्टुकर, नार्थ पारो, ईस्ट पारो, वेस्ट पारो	डोलुंगमुख	कामले	अरुणाचल प्रदेश

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।

- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स एनईआरईएस XVI पावर ट्रांसमिशन लिमिटे को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा.सं. 25-16/57/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3480(E).—Whereas M/s NERES XVI Power Transmission Limited having its registered address at 415/2 Mehrauli Gurgaon Road, Sector-14, Sadar Bazar, Gurgaon, Haryana, 122001, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission lines under the transmission scheme “Transmission scheme for North Eastern Region Expansion Scheme-XVI (NERES-XVI)”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/30/2023-PG dated 10.10.2023 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead lines covered under the transmission scheme “Transmission scheme for North Eastern Region Expansion Scheme-XVI (NERES-XVI)”.

M/s NERES XVI Power Transmission Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Arun Bhumi (in Hindi) dated 19.01.2026, The Arunachal Times (in English) dated 19.01.2026, The Assam Tribune (in English) dated 19.01.2026, Dainik Purvoday (in Hindi) dated 19.01.2026, Amar Asom (in Assamese) dated 19.01.2026 and in Weekly Gazette of India dated 14.02.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two Months from the date of publication. Subsequently, M/s NERES XVI Power Transmission Limited has submitted an affidavit dated 18.06.2026, declaring that no comments/representations were received within two months from the date of publication in the Newspapers/official Gazette of Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Transmission scheme for North Eastern Region Expansion Scheme-XVI (NERES-XVI).” The following overhead lines are covered under this scheme:

(i) Gogamukh (ISTS)-Gerukamukh (Arunachal Pradesh) 132 kV D/C (Zebra) line

(ii) LILO of one D/C line (ckt-1 & ckt-2 of line-1) of Lower Subansiri-Biswanath Chariali 400 KV (Twin Lapwing) 2X D/C lines at Gogamukh S/S

The transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Assam and Arunachal Pradesh:

(i) LILO of One D/c line (ckt-1 & ckt-2 of line-1) of Lower Subansiri – Biswanath Chariali 400 kV (Twin Lapwing) 2xD/c lines at Gogamukh S/S

Sr. No.	Name of the Villages	Tehsil/Taluka	District	State
1	Purana Paraghat, Tingiri Gaon	Gogamukh	Dhemaji	Assam
2	Khagori, Uriamguri NC, Uriamguri Baligaon, Uriamguri Jorhotia NC, Dipa NC, Senchowa	Kadam	Lakhimpur	Assam

(ii) Gogamukh (ISTS) – Gerukamukh (Arunachal Pradesh) 132 kV D/C (Zebra) line

S. No.	Village Names	Tehsil	District	State
1	Koiyam Barpathar , No.2 Na-Nai Taring, Chauldhua, Kachutali Bali, Legachu Kachari , No.1 Lathia, Moinapara Pathar, Ukhamati Tarajan, No.3 Na-Nai Taring, No.1 Kachutali, Mongaldoi Para, No.2 Moinapara Miri , Na-Nai Taring, Uriamguri, No.1 Sonapur Mazi, No.1 Gogamukh, Ukhamati Pathar, Gogamukh Pathar, No.1 Moinapara Miri, No.2 Kachutali, Garpara, Ukhamati Nepali 1/2, Chauldhua Bali, Moinapara Chetia 1/2, Naharbari Kachari, Purana Paraghat, Lathia Sonari, Legachu Nepali , Mingmang Garpara, No.4 Sonapur Mazi, No.2 Sonapur Mazi, No.5 Dirpai Chapari (Rajgar Tiniali), Dihingia Gaon, No.4 Dirpai Chapari, Dirpai NLR Grant, Gogamukh Miri, No.3 Dirpai Chapari, Dihingia Pathar, Monipuri Kachari, Dakhin Nalbari, No.2 Tarajan Chapari , No. 2 Dirpai Chapari (Thakurbari), Garpara Pathar, Tingiri Gaon, Goroimari Bangali, Bordoibam 67 No. Amguri, Bordoibam 19 No. FC Grant, Bordoibam 21 No. FC Grant, Bordoibam 1/2 No. Sah Miyadi, Latak, Tarajan Gaon, Koiyam, No.3 Sonapur Mazi, No.1 Tarajan Chapari, Dighalipathar, Dighalipathar NC, Bhebeli, Borbila Bhebeli, Bhebeli Pathar, Chengeli Suti, Parbotipur, Sigia, Dirpai Santipur Grant, Sanapur No. 5, Sanapur No. 6, Subansiri Reserved Forest, Naharbari, Chomanigaon, Baligaon, Majgaon, Amlapati, Chengmari, Napan Baligaon, Newargaon Gogamukh, Jilikpathar, Pamua Gogamukh, Bhebeli Hamabaigaon, Rangajangaon, Jyotishpur, Brahmagaon, Mohri, Kaligaon, Naharjan, Kanuaparajan, Nijaypur, Bishmpur, Bagchok Sonwalgaon, Halakbari, Pichala, Changlisuti No. 1, Salakhbari mirgaon, Gerukamukh, Geuka, Ghasigaon, Khaikshpur	Gogamukh	Dhemaji	Assam
2	Pathalipam 10/7/80/83, 2 No. Katari Chapori, Chinatolia Rajgarh, Gergeria, 4 no. Katari Chapori, Uriamguri, Pathalipam 314/61, 3 No. Katari Chapori, Kakoi Noi Rajgarh, Balijan Bangali, Balijan, 1 no. Rajgarh Nepali, Bokulbari, 1 no. Katari Chapori, 2 no. Dakhin Rupohi, 2 no. Senchow, 1 no Dakhin Rupohi, Senchow, Thekeraguri, 2 no. Rajgarh Nepali, Senchow Pathar, 2 no. Kakoi Noi Rajgarh, Uttar Rupohi, Dakhin Rupohi, Na Ali Bangali, Rajgarh Rupohi, Rupohi, Dholbosti, Khagori, Kathalguri, Dhol Noi Chapori, Dirgha Majgaon, Dulung, Kathalguri NC, Uriamguri NC, Purana Parghat, Uriamguri Baligaon, Uriamguri Jorhotia NC, Dipa NC, Pirikgaon, Dhipagaon, Baginadipam, Kalitagaon, Dutgaon, Karkani kathangaon, Ahatguri, Haldihati, Bharatpur, Bhimpura Chapori, Dhanpur, Ghagarnagar, Subansirigaon, Milanpur, Adorsha, Kuliarbari	Kadam	Lakhimpur	Assam
3	Rigyū, Rigyu Rijo, Rigyu 2, Kolaptukar, North Kolaptukar, South Kolaptukar, North Paro, East Paro, West Paro	Dollungmukh	Kamle	Arunachal Pradesh

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s NERES XVI Power Transmission Limited for laying above overhead transmission lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.

- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s NERES XVI Power Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/57/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secretary (PG)